

इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-12ए, 94, मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

कॉरपोरेट कार्यालय : बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश), दूरभाष: +91 120 3082 000, फैक्स: +91 120 3082 095,

वेब: www.infoedge.in, CIN: L74899DL1995PLC068021

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, भीष्म पितामाह मार्ग, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में सोमवार, 27 जुलाई, 2015 को अपराह्न 4.30 बजे आयोजित होगी। कंपनी की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक में संबंधित आमंत्रण सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। संबंधित सूचना कंपनी के सदस्यों को भेज दी गई है।

वार्षिक प्रतिवेदन, 2015 के साथ बैठक की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक प्रतिवेदन, 2015 के साथ बैठक की भौतिक प्रतिलिपियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर रचीकृत प्रारूप में भेज दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 20, संशोधित, तथा सूचीबद्धता अनुबंध की अनुच्छेद 35बी के प्रावधानों के अनुसार, बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है ("रीमोट ई-वोटिंग")। ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने एजेंसी के तौर पर नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवा ग्रहण की है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रारूप में तथा नियमों के अनुरूप ई-वोटिंग की प्रक्रिया के परिचालन हेतु कंपनी ने जांचकर्ता के रूप में मेसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

(क) अंतिम तारीख 20 जुलाई, 2015 को भौतिक प्रारूप में अथवा डिमेंटरलाइज्ड (अभौतिक) प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण ही केवल सूचना में तय किए गए व्यवसायिक पहलुओं पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अथवा एजीएम में बैलट पेपर द्वारा वोट डाल सकते हैं।

(ख) कंपनी द्वारा सूचना का प्रेषण/ईमेल द्वारा भेजने का कार्य 3 जुलाई, 2015 को सम्पूर्ण कर लिया गया है।

(ग) वोटिंग की अवधि 23 जुलाई, 2015 (सुबह 09.00 बजे) शुरू होगी तथा 26 जुलाई, 2015 (अपराह्न 05.00 बजे) समाप्त होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मोड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा ऊपर उल्लिखित तारीख के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने जाने के उपरांत कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा अंतिम तारीख यानी 20 जुलाई, 2015 को शेयर धारण रखते हैं, वे evoting@nsdl.co.in अथवा evoting@naukri.com पर अनुरोध भेज तक लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे वोट डालने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(ङ) रीमोट ई-वोटिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डाले जाने के उपरांत सदस्यों को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम से पहले सदस्य द्वारा रीमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाले जाने के वाबजूद वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(च) सदस्यगण ध्यान दें कि 20वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन, 2015 कंपनी की वेबसाइट www.infoedge.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्यकारी दिवस को काम के घंटे के दौरान निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

(छ) ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी तरह प्रश्न के लिए सदस्यगण श्री एमएम जैन, कंपनी सचिव से कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय, बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उ.प्र.) से दूरभाष: +91-120-3082005, investors@naukri.com पर संपर्क कर सकते हैं।

एतद्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि 29 मई, 2015 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक रु. 10/- के इक्विटी शेयर पर रु. 2/- के अंतिम लाभांश के भुगतान की पात्रता के निर्धारण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सूचीबद्धता अनुबंध की अनुच्छेद 16 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तिका मंगलवार, 21 जुलाई, 2015 से सोमवार, 27 जुलाई, 2015 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता/-

एमएम जैन

एवीपी-सचिविक एवं कंपनी सचिव

स्थान : नोएडा

दिनांक : 3 जुलाई, 2015